# छत्तीसगढ़ शासन
## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
### डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर(छ.ग.)

22 OCT 2011

**आदेश**

क्रमांक–स्वा.प.क./2011/एफ–6–10 रायपुर दिनांक .09.2011 -- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार पूर्व में गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति विस्तार किया जाकर, उक्त समिति को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) के नाम से जाना जावेगा। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) के सुचारू संचालन/क्रियान्वयन हेतु पूर्व में संचालित समिति अंतर्गत निहित निर्देशों में निम्नांकित दिशा–निर्देश का समावेश किया जाता हैः–

1. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का नाम परिवर्तित कर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जावें।
2. पोषण के महत्व एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधी जागरूकता।
3. विशेषकर महिला एवं बच्चों के पोषण एवं कुपोषण संबंधी ऑकड़ों का सर्वे करना।
4. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व कार्य को व्यवहार में लाया जावें।
5. ग्राम स्वास्थ्य योजना में पोषण की आवश्यकताओं का समावेश किया जावें।
6. कुपोषण संबंधी जानकारीयों का आंकलन में AWW/ANM/ASHA (मितानिन) व Health एवं WCD सुपरवाईजर का सहयोग लिया जावें।
7. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की नियमित समीक्षा किया जावें।
8. कुपोषित महिलाओं व बच्चों का प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर निकट के स्वास्थ्य NRC (पोषण पुर्नवास केन्द्र) तक रिफर करने की व्यवस्था किया जावेंगा।
9. ऑगनबाडी में संचालित गतिविधियों का समीक्षा किया जावेंगा।
10. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिकायत का सुझाव पर सकारात्मक रूप से निराकरण किया जावें।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को ग्राम पंचायत के उप समिति के रूप में नामॉकित किया जावें तथा जिसका नियंत्रण संबंधित ग्राम पंचायत के अधीन होगें।

(विकासशील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमश

क्रमांक–स्वा.प.क. / 2011 / एफ–6–10/नौ/17 रायपुर दिनांक 20 OCT 2011

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव एवं मिशन संचालक, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर, की ओर सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, समस्त जिला........................ छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ............................समस्त जिला, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिला........................ छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।
9. कार्यालयीन प्रति।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(17A)
1035/NRHM
8/12/11.

S.

No.Z.18015/8/2011-NRHM-II
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(NRHM-II Section)

Niraman Bhawan, New Delhi.
Dated: 30.11.2011

To,

The Mission Director (NRHM),
Department of Health & Family Welfare,
Govt. of Chhattisgarh

**Subject:** Action taken on the newly renamed Village Health Sanitation & Nutrition Committees (VHSNC) – regarding.

Sir,

Kindly refer to this Ministry's order No.Z.18015/8/2011-NRHM-II dated 25th July 2011 and subsequent reminder dated 7.10.2011 on the subject cited above. It is to inform that this Ministry has not received any information from your state regarding the expanding the role of VHSC and its renaming to VHSNC. It is therefore requested to kindly inform the action taken in this regard to the undersigned immediately.

Yours faithfully,

P. Padmavati

(P. Padmavati)
Assistant Director(NRHM-II)
Telefax No.011-23062430

SPM
D SNM

Kindly put up

MD. NRHM Nasti No. 526
Recd. Dtd. ....... Deap. Dtd. 8/12/11

Note – Order has already been sent. According to DD.

Photocopy sent to DD